न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न पत्र संख्या : 99/2024

प्रार्थी

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी बनाम डॉ पकज श्रीवास्ताव

किस्म मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/11/2025	पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि पर मेरे द्वारा किसी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया जा रहा है बल्कि मैने मेरी भूमि को कृषि आधारित ग्राम गुडा विश्नोईयान के खसरा नम्बर 533 मे उपयोग व्यावसायिक गातिविधियो के लिए नही किया जा रहा है पटवारी द्वारा कृषि भूमि मे जमाबन्दी दायर की गई जिसमे उन्होने साइट पर ज्वार मूग और गुवार की फसले देखी थी उन्होने उक्त जमीन पर लगभग 500 फलो के पौधो देखे गये उक्त प्रकरण मे मेरे द्वारा किसी प्रकार का व्यावसायिक गातिविधियो के लिए नही किया जा रहा है श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को खारिज किया जावे। अतः–तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थी के जबाव के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	